गैर-सरकारी कंपनियों को भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड के निवेश

1891. **श्री सोम पाल :**

श्री शारदा महन्ती :

श्री शंकर दयाल सिंह :

श्री ब्रह्मदेव आनन्द पासवान :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, गैर-सरकारी कंपनियों के संबंध में वित्तीय संस्थाओं की भूमिका से संबंधित कुछ मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाने पर विचार कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस आचार संहिता और इन नियमों को कब तक लागू कर दिए जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० अबरार अहमद) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के सभापटल पर रख दी जाएगी ।

Request for Opening of Mahila Rural Co-operative Banks

1892. SHRI RAMENDRA KUMAR YADAV 'RAVI':

SHRI RAJUBHAI A. PARMAR:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) what is the number of applications received by Government from private, Gujarat Government and Bihar Government with regard to opening of Mahila Rural Cooperative Banks throughout the country;

(b) what action has been taken by Government on these requests;

(c) what is the number of requests that have been accepted throughout the country and specially in Gujarat State; and

id) what are the criteria for accepting these requests?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FINANCE AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR ABRAR AHMED): (a) to (d) The information is being collected and to the extent available will be laid on the Table of the House

Non-Payment of Income Tax by Kashmir University Lecturers

1893. SHRI KRISHAN LAL SHARMA: Will the Miniser of FINANCE be pleased to state

(a.) whether it is a fact that most of the University Lecturers including the Vice-C'hancellor of Kashmir University have not been paving their income tax for the last two years: and

(b) if so, what action has been taken by Government in this regard?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M. V. CHANDRASHEKHAR MURTHY): (a) Yes, Sir. The Lecturers and the Vice-Chancellor of Kashmir University have neither made any payment of tax nor filed any reurns of income for the last two years. Kashmir University deduced tax 178 at source from various salary payments during financial year 1992-93. Whether this sum includes any lax deducted from the salaries of the Vice-Chancellor and Lecturers is being verified.

(b) Notices calling for the returns have been issued under the Income-tax Act. Also penal proceedings under the relevant sections have been initiated.

Passing on of Subsidy Benefits to Farmers

1894. MISS SAROJ KHAPARDE: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that as per a recent study by the Reserve Bank of

India (RKJ) the benefits of fertiliser and electricity subsidies are not reaching the small and medium farmers in the country;

(b) if so, what are the details thereof: and

(c) what steps Government propose to take to help the small and medium farmers in this regard?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FINANCE AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR. ABRAR AHMED): (a) and (b) Two studies namely Agricultural Policy in India—Context, Issues and Instruments, and Farm Input Subsidies and State Finances (a case study of Maharashtra and Uttar Pradesh) were done by the Reserve Bank of India. However, both these studies are silent about the benefits of fertiliser and electricity subsidies to the small and medium farmers in the country.

(c) In order to provide some relief to the farmers including the small and medium, the Government have allocated Rs. 756 crores during 1993-94 to provide the decontrolled fertilisers at subsidised rates.

महिला कल्याण हेतु बजट आबंटन में कटौती

1895. **श्री राम नरेश यादव :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व बैंक की शर्तों के अंतर्गत महिलाओं की उपेक्षा की गई है जैसा कि इस तथ्य से स्पष्ट है कि महिलाओं से संबंधित योजनाओं संबंधी परिव्यय में कटौती की गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो महिलाओं से संबंधित योजनाओं के परिव्यय में कटौती करने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि वर्ष 1993-94 के बजट आबंटन में "महिला कल्याण" मद के अंतर्गत 49.36 प्रतिशत कटौती की गई है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) 1992-93 के लिए संशोधित अनुमानों में 112.33 करोड़ रु० के बजट आबंटन में 24.50 करोड़ रु० अतिरिक्त लाभभोगियों हेतु अनुपूरक पौष्टिकता की योजना के लिए शामिल हैं जो 1993-94 से राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को हस्तांतरित कर दिये गये हैं । इसको छोड़कर संशोधित अनुमान 87.83 करोड़ रुपये है । इसमें राष्ट्रीय महिला ऋण कोष के समूहों के लिए एक बार अंशदान दिये जाने के लिए 31 करोड़ रु० की व्यवस्था शामिल है । महिलाओं के कल्याण की अन्य योजनाओं के लिए संशोधित अनुमान 56.83 करोड़ रु० है । इसके मुकाबले महिलाओं के कल्याण के लिए 1993-94 का बजट अनुमान 62.97 करोड़ रु० है ।

उत्तर प्रदेश में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा निवेशित राशि

1896. **श्री ईश दत्त यादव :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंत में उत्तर प्रदेश में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा 207 रुपए राष्ट्रीय औसत की तुलना में औसत 200 रुपए की राशि का निवेश किया गया था;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है; और

(ग) उत्तर प्रदेश में निवेश की राशि को राष्ट्रीय औसत के बराबर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?